



महाराष्ट्र शासन
सांस्कृतिक कार्य विभाग,
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी

दुरध्वनी : ०२२-२२६७२५३९
ई-मेल: mhsahityaacademy@gmail.com

ओल्ड कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, दुसरा मजला,
शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - ४०० ००९.

**वर्ष २०२३-२०२४ वर्ष के लिए पुरस्कार योजना और
पुस्तक प्रकाशन अनुदान हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित**

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष २०२३-२४ इस वर्ष के लिए दिए जानेवाले अखिल भारतीय सन्मान जीवनगौरव पुरस्कार, साहित्य/वाङ्मय पुरस्कार और अन्य ४ पुरस्कार, और पुस्तक प्रकाशन अनुदान के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जा रही हैं।

महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष स्थायी निवासी रचनाकार उपरोक्त पुरस्कार और पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना के लिए प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं। प्रविष्टियाँ **मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, दूसरी मंजिल, पुराना जकात घर, विकास विभाग इमारत, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-४०० ००९** इस पते पर दिनांक **३ जनवरी, २०२४** को शाम **५.३०** बजे तक स्वीकार की जायेंगी। उपर्युक्त योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम, आवेदन पत्र www.maharashtra.gov.in और www.mahasahitya.org इस संकेतस्थल पर नवीनतम संदेश में उपलब्ध है।

नियम और शर्तें

वर्ष २०२३-२४ के वाङ्मय पुरस्कार के लिए दि. ०१ जनवरी २०२० से दि. ३१ दिसंबर २०२२ के बीच प्रकाशित कृतियां स्वीकार की जायेंगी।

लेखक एक से अधिक श्रेणी में अपनी कृति भेज सकते हैं। परंतु, किसी एक ही कृति को पुरस्कार देय होगा। पुरस्कार प्राप्त करने पर लेखक आगामी दो वर्ष तक उस श्रेणी में पुरस्कार के लिए प्रविष्टियाँ नहीं दे सकेंगे। डी लिट, पीएचडी, एम फिल के शोध प्रबंध, संपादित संकलन तथा अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र, जीवनवृत्त, कृतिपुस्तक की तीन प्रतियाँ, लेखक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष निवास का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति/रद्द किया हुआ धनादेश के साथ प्रविष्टियाँ **दिनांक ३ जनवरी, २०२४ को शाम ५.३० बजे तक** स्वीकार की जाएँगी। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

दि. ०४/१२/२०२३

Sd/-
सदस्य सचिव
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई

अ) पुरस्कार योजना

इस योजनातर्गत सिंधी भाषा के लेखक, साहित्यिकों को विभिन्न साहित्य प्रकार में ९ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के लिए निम्नलिखित स्वरूप में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

अ. क्र.	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार संख्या	पुरस्कार की राशी
१.	अखिल भारतीय जीवन गौरव सन्मान पुरस्कार	१	१,००,०००/-
२.	सिंधी भाषा के लिखित पुस्तक/ ग्रंथ को साहित्य /वाङ्मय पुरस्कार	४	(प्रति लेखक रु. ५०,०००/-) कुल रु. २,००,०००/-
३.	पत्रकारिता पुरस्कार	१	रु. २५,०००/-
४.	अनुवाद पुरस्कार	१	रु. २५,०००/-
५.	काव्य पुरस्कार	१	रु. २५,०००/-
६.	नवोदित साहित्यिक पुरस्कार	१	रु. २५,०००/-
पुरस्कार संख्या		९	

पुरस्कार योजना के लिए योग्यता :

१. अखिल भारतीय जीवन गौरव सन्मान पुरस्कार :

सिंधी साहित्य जगत में प्रदीर्घ समय से सिंधी भाषा के विकास - उत्थान के लिए जिनका विशेष योगदान रहा हो, ऐसे वरीष्ठ साहित्यिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

- सिंधी भाषा में महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना करनेवाले लेखक/ साहित्यकार इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।
- पुरस्कारार्थी का साहित्यिक क्षेत्र में श्रेष्ठत्व सिद्ध होना चाहिए।
- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

२. साहित्य /वाङ्मय पुरस्कार :

काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, समीक्षा, अनुवाद, विज्ञान कथा और सिंधी भाषा के विविध स्वरूप में गत ३ वर्ष में प्रकाशित कृतियों को इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

- पुरस्कारार्थी का कर्तृत्व सिंधी साहित्य क्षेत्र में वादातीत होना आवश्यक है। गत ३ वर्ष में उनका ग्रंथ / पुस्तक प्रसिद्ध आवश्यक है।
- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

३. पत्रकारिता पुरस्कार :

पत्रकारिता क्षेत्र में सिंधी भाषा में उल्लेखनीय कार्य करनेवाले व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

- पत्रकारिता क्षेत्र में पुरस्कारार्थी लगभग ५ वर्षों से सक्रीय होना चाहिए।
- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

४. अनुवाद पुरस्कार :

यह पुरस्कार मराठी भाषा से सिंधी भाषा में तथा सिंधी भाषा से मराठी भाषा में अनुवादीत कृति की रचना करनेवाले साहित्यिक को प्रदान किया जाएगा। गत ३ वर्ष में प्रकाशित कृतियों को इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

५. काव्य पुरस्कार :

सिंधी साहित्य काव्य प्रकार में विशेष योगदान देनेवाले रचनाकार तथा कवियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। गत ३ वर्ष में प्रकाशित कृतियों को इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

६. नवोदित साहित्यिक पुरस्कार :

उत्कृष्ट सिंधी साहित्य / वाङ्मय कृति के निर्माण हेतु नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए नवोदित साहित्यकार की रचनाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

सर्वसाधारण नियम :

पुरस्कार योजना के लिए सर्वसाधारण नियम निम्ननुसार है।

- जीवनगौरव पुरस्कार प्रतिवर्ष १ व्यक्ती को दिया जाएगा।
- जिस साहित्यकार को एक क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है, उन्हे उसी क्षेत्र में अगले २ वर्ष तक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। किंतू वे दुसरे क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
- साहित्यकार एक से अधिक श्रेणी में अपनी कृति भेज सकते है, किंतू किसी एक वर्ष में एक ही कृति को पुरस्कार दिया जाएगा।
- डी.लिट, पी.एच.डी, एम.फिल का शोधप्रबंध, संपादित तथा अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।
- वाङ्मय पुरस्कार के लिए दि. ०१ जनवरी २०२० से दि. ३१ दिसंबर २०२२ के बीच प्रकाशित कृतियां स्वीकार की जायेंगी।
- पुरस्कार घोषणा संबंध में महाराष्ट्र शासन का निर्णय अंतिम रहेगा।

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सन २०२३-२४ के

पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा.कार्याध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई

विषय : ----- पुरस्कार के लिए प्रविष्टि.

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक: ०४/१२/२०२३.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी की पुरस्कार योजनांतर्गत में अपनी प्रकाशित कृति की ३ प्रतियां संलग्न प्रेषित कर रहा हूँ। एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. शीर्षक : -----
२. विधा प्रकार : -----
३. प्रकाशन अवधि : -----

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि -

१. यह मेरी मौलिक कृति है।
२. मेरी उक्त पुस्तक में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी कोई अंश नहीं है।
३. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य का निवासी हूँ।
४. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मुझे इस पुस्तक के लिए अन्य अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।
५. विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा सम्बन्धी यह शोधग्रंथ नहीं है।
६. मैंने पुरस्कार संबन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय,

(नाम:-----)

संलग्न :-

१. जीवनवृत्त
२. पुस्तक की तीन प्रतियां (३ प्रतियां)
३. १५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल)की छायाप्रति.
४. आधार कार्ड की छायाप्रति.
५. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.

जीवनवृत्त

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो

१. नाम :-----
२. जन्म तिथि :-----
३. सम्पूर्ण पत्ता :-----

४. ई-मेल :-----
५. फोन/ मो.नं. :-----
६. व्यवसाय :-----
७. शैक्षणिक अर्हता :-----
८. प्रकाशित साहित्य :-----
- (सूची अलग से जोड़ सकते हैं) :-----
९. अबतक प्राप्त पुरस्कारों का विवरण :-----
(सूची अलग से जोड़ सकते हैं)
१०. अन्य उपलब्धियां :-----

(हस्ताक्षर:-----)

ब) पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना :

योजना का उद्देश्य :

सिंधी भाषा में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देना तथा सिंधी साहित्यकारों की कृतियों को प्रकाशित करना और उस साहित्य को सृजनशील पाठकवर्ग तक लेकर जाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

योजना का स्वरूप, पात्रता, नियम :

- साहित्यकारों को अकादमी कार्यालय में पूर्णतः विवरण आवेदनपत्र के साथ साहित्यकृति की २ प्रतियाँ स्वच्छ हस्तलिखित/ टंकणित रूप में भेजना आवश्यक है।
- साहित्यकारों को पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुमानित अंदाज खर्च का विवरण (Estimate) आवेदनपत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है।
- चुनी हुई हस्तलिखित साहित्यकृति के प्रकाशन की व्यवस्था लेखक को खुद करनी होगी अथवा प्रकाशन संस्थाद्वारा पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया करवानी होगी।
- पुस्तक प्रकाशन अनुदान प्रदान करने के बाद पुस्तक का प्रकाशन निर्धारित समय में आवश्यक है।
- साहित्यकृति प्रकाशित होने के बाद उसकी २५ प्रतियाँ विनामूल्य अकादमी को देना आवश्यक है।
- साहित्यिक कृति का प्रकाशन करते समय पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित संदेश सिंधी लिपी (देवनागरी और अरेबिक दोनों लिपी) में प्रकाशित करना अनिवार्य है।

इस किताब का प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के 'पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना' के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से किया गया है।

- साहित्यकार / लेखक की साहित्यकृति को एकबार अनुदान प्राप्त होने के उपरांत अगले ५ साल के लिए उसी लेखक को पुस्तक प्रकाशन का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- महाराष्ट्र राज्य में १५ साल से निवास कर रहे सिंधी साहित्यकार पात्र होंगे। (अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक है।)
- किसी भी निजी संस्था, राज्यशासन और केंद्र सरकार के अनुदान से प्रकाशित होनेवाली किताब को इस योजनातंत्रगत अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
- यह अनुदान केवल मूल (Original) साहित्यकृति को ही मिलेगा। पुनःमुद्रण अथवा बाद में प्रकाशित कृति को अनुदान नहीं मिलेगा।
- आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी साहित्यकार की होगी और ऐसे साहित्यकार को दिया गया अनुदान अकादमी द्वारा वापस लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- इस योजना के तहत अनुदान मंजूरी के लिए अकादमी का निर्णय अंतिम होगा। अनुदान मंजूरी न मिलने पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और प्राप्त पांडुलिपी वापस नहीं की जाएगी।
- साहित्य क्षेत्र में निम्नलिखित साहित्य प्रकार इस योजना के लिए पात्र होंगे ।
 - कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी-आत्मकथा, समीक्षा, लोकसाहित्य, निबंध, लघुकथा, नाटक/ एकांकिका, ललित और बालसाहित्य आदि।

अनुदान का स्वरूप :

- अकादमी की समितिद्वारा जिस साहित्यकृति को अनुदान मंजूर हुआ हो, उस साहित्यकृति के प्रकाशन के लिए साहित्यकार द्वारा जोड़े हुए अनुमानित खर्च में उल्लेखित खर्च की ५०% राशि अथवा रु. २०,०००/- इसमें जो राशि कम रहेगी वह राशि अनुदान के स्वरूप में प्रदान की जाएगी ।

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के
पुस्तक प्रकाशन अनुदान हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा.कार्याध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई

विषय : पुस्तक प्रकाशन अनुदान के लिए प्रविष्टि

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक : ०४/१२/२०२३.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी की पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजनांतर्गत में अपनी हस्तलिखित कृति की २ प्रतियां संलग्न प्रेषित कर रहा/रही हूँ, एतद् सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है।

१. शीर्षक : -----
२. विधा प्रकार : -----

मैं यह प्रमाणित करता/ करती हूँ कि -

१. यह मेरी मौलिक कृति है।
२. मेरी उक्त पांडुलिपि में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी कोई अंश नहीं है।
३. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य का निवासी हूँ।
४. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ की मुझे इस पांडुलिपि के लिए अन्य अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
५. विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा सम्बन्धी यह शोधग्रंथ नहीं है।
६. मैंने पुस्तक प्रकाशन अनुदान सम्बन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय,

(नाम:-----)

संलग्न :-

१. जीवनवृत्त
२. पांडुलिपि की दो प्रतियां (२ प्रतियां)
३. १५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल)की छायाप्रति.
४. आधार कार्ड की छायाप्रति .
५. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.
६. पुस्तक प्रकाशन खर्च अंदाजपत्रक (Estimate)

जीवनवृत्त

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो

१. नाम :-----
२. जन्म तिथि :-----
३. सम्पूर्ण पत्ता :-----

४. ई-मेल :-----
५. फोन/ मो.नं. :-----
६. व्यवसाय :-----
७. शैक्षणिक अर्हता :-----
८. प्रकाशित साहित्य :-----
- (सूची अलग से जोड़ सकते हैं) -----
९. अन्य उपलब्धियां :-----

(हस्ताक्षर :-----)